प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 676/2024

1 – एबीसी

2 – एक्स वाई जेड (विवरण लिफाफे में रखा गया है)

---- आवेदक

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जांजगीर,
जिला: जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादी

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री सुनील साहू, अधिवक्ता

राज्य के लिए: सुश्री प्रज्ञा श्रीवास्तव, उप–शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(माननीय श्री न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा)

बोर्ड पर आदेश

03/03/2025

1. यह आपराधिक संशोधन धारा 102 के अधीन प्रस्तुत किया गया है किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (इसके बाद "किशोर बोर्ड अधिनियम"), अपराध क्रमांक 17/2024 से उत्पन्न आपराधिक अपील क्रमांक 54/2024 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा द्वारा धारा 363,302,201, 120–बी, 147,148 और 149 भा. दं. सं. के अंतर्गत अपराध करने के लिए पारित दिनांक 06.06.2024 के आदेश के विरुद्ध, जिसके अधीन अपील निरस्त कर दी गई है और प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, जांजगीर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता क्रमांक 62/2024 में पारित दिनांक 24.04.2024 के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसमें विधि से संघर्षरत बालक की जमानत याचिका निरस्त की गई थी।

2. अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनांक 09.01.2024 को दोपहर लगभग 12.30 बजे शिकायतकर्ता मुकुंद यादव ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र राजेश यादव कक्षा 11 का छात्र दीपक

टंडन के साथ मोटरसाइकिल से गोदना में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गया था और वापस नहीं लौटा। उसे संदेह था कि उसके पुत्र का अपहरण हो गया है और इसलिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 363 भा. दं. सं. के अधीन रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 12.01.2024 को रात करीब 10 बजे उसके पुत्र का शव बरभाटा नहर के पास मिला। मर्ग जांच के दौरान पुलिस ने वर्तमान आवेदक/विधि से संघर्षरत किशोर के खिलाफ सबूत जुटाए कि आवेदक मृतक के सहपाठी थे और आवेदक नंबर 1 और मृतक अपनी सहपाठी (लड़की) को पसंद करते थे। विधि से संघर्षरत किशोर के मेमोरेंडम कथन दर्ज किए गए और अपराध के कपड़े और हथियार जब्त किए गए। किशोरों की उम्र क्रमशः 17 साल, 11 महीने और 16 साल पाई गई।

3. किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 12 के अधीन किशोरों को जमानत देने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद, किशोर की ओर से प्रस्तुत अपील को भी निरस्त कर दिया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि उनकी रिहाई से उन्हें ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ने की संभावना है, उन्हें नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने की संभावना है और न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विधि से संघर्षरत आवेदकों/किशोरों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अपराध के समय किशोर 18 वर्ष से कम आयु के थे और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्हें बिना किसी ठोस सबूत के झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अभिलेख पर ऐसा कोई सबूत नहीं है कि अगर किशोरों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उनकी रिहाई से उन्हें किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ने, उन्हें नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने और न्याय के उद्देश्यों को विफल करने की संभावना है। इस तरह के कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किए गए हैं कि वे किसी ज्ञात अपराधी के साथ कैसे जुड़ेंगे, या यह उन्हें नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में कैसे डालेगा और न्याय के उद्देश्यों को विफल करेगा। आवेदक नंबर 1 के पिता यह वचन देने के लिए तैयार हैं कि अगर किशोर को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे उसे अपनी हिरासत में रखेंगे और बेहतर शिक्षा प्रदान करके उसकी उचित देखभाल करेंगे। जहां तक आवेदक संख्या 2 का संबंध है, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, वह कक्षा 11 का नियमित छात्र है और आवेदक का भाई हिरासत लेने के लिए तैयार है और आगे प्रस्तुत किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने मामले के तथ्यों की उचित रूप से सराहना नहीं की है और किशोरों के लाभ के लिए बनाए गए विधि के उद्देश्य पर विचार किए बिना एक सरसरी ढंग से आक्षेपित आदेश पारित किया है और उन्हें जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है।

5. राज्य के विद्वान वकील ने किशोर न्याय बोर्ड और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का समर्थन किया है और तर्क दिया है कि किशोरों ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पूर्व नियोजित तरीके से एक जघन्य अपराध किया था। राजेश और दीपक की लोहे की पाइप और रॉड से हत्या कर शवों को गड्ढे में फेंक दिया और पुआल से ढक दिया, मोटरसाइकिल को मुधपार रोड के पास तालाब में फेंक दिया जबकि अपराध का हथियार लोहे की रॉड और पाइप कमरे में छिपा दिया था। विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों द्वारा तथ्य का खुलासा करने के आधार पर। उन्होंने केवल अपने सहपाठी (लड़की) को पसंद करने के संबंध में विवाद के कारण हत्या की थी जो उनकी मानसिक भ्रष्टता को दर्शाता है। इसलिए अपराध की गंभीरता और परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक जांच रिपोर्ट को देखते हुए किशोरों की ओर से प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है।

7. यह निर्विवाद है कि अपराध के समय, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों की उम्र क्रमशः 17 वर्ष, 11 महीने और 16 वर्ष थी। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड और विद्वान सत्र ने किशोर द्वारा किए गए जघन्य और घृणित अपराध को ध्यान में रखा है। उन्होंने परीवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. यह सच है कि अपराध की गंभीरता ही जमानत याचिका निरस्त करने का आधार नहीं हो सकती लेकिन जहां 16 साल के असहाय बच्चों की हत्या सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि उन्हें सहपाठी (लड़की) पसंद थी, वहां किशोरों की मानसिक भ्रष्टता साफ झलकती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधता, औचित्य, शुद्धता और वैधता पर विचार करने से पहले अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर गौर करना उपयोगी होगा। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 इस प्रकार है:–

> "12. ऐसे व्यक्ति को जमानत जो स्पष्टतः बालक है और जिसके विरुद्ध विधि का उल्लंघन करने का आरोप है।–
>
> (1) जब कोई व्यक्ति, जो स्पष्टतः बालक है और जिसके विरुद्ध जमानतीय या गैर–जमानती अपराध करने का आरोप है, पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है या हिरासत में लिया जाता है या बोर्ड के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी जमानत के साथ या उसके बिना जमानत पर रिहा किया जाएगा या परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में या किसी योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखा जाएगा: बशर्ते कि ऐसे

व्यक्ति को इस प्रकार रिहा नहीं किया जाएगा यदि यह मानने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि रिहाई से उस व्यक्ति का किसी ज्ञात अपराधी से संबंध होने की संभावना है या उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने की संभावना है या व्यक्ति की रिहाई से न्याय का उद्देश्य विफल होगा, और बोर्ड कारणों को अभिलेख करेगा जमानत देने से इंकार करने के लिए तथा ऐसी परिस्थितियों के लिए जिसके कारण ऐसा निर्णय लिया गया।

(2) जब ऐसे व्यक्ति को पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा उप–धारा (1) के अधीन जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, तो ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति को केवल संप्रेक्षण गृह में ऐसी रीति से रखेगा जैसा विहित किया जा सकता है, जब तक कि वह व्यक्ति बोर्ड के समक्ष पेश न हो जाए।

(3) जब ऐसे व्यक्ति को उप–धारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, तो वह उसे संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान, जैसा भी मामला हो, में उस व्यक्ति के संबंध में जांच के लंबित रहने के दौरान ऐसी अवधि के लिए भेजने का आदेश देगा, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) जब विधि से संघर्षरत कोई बालक जमानत आदेश के सात दिन के भीतर जमानत आदेश की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो ऐसे बालक को जमानत की शर्तों में संशोधन के लिए बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। अधिनियम, 2015" से स्पष्ट है कि सामान्यतः किशोर न्याय बोर्ड किशोर को जमानत पर या बिना जमानत के रिहा करने के लिए बाध्य है। किशोर को कुछ परिस्थितियों में रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि धारा के उत्तरार्द्ध में 'करेगा' शब्द का प्रयोग किया गया है जो किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर की रिहाई पर रोक लगाने वाली कुछ अनिवार्य शर्तें लगाता है। यदि यह मानने के लिए कोई उचित आधार हैं कि

(क) रिहाई से उसके किसी ज्ञात अपराधी के साथ संबंध होने की संभावना है;

(ख) रिहाई से उसके नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ने की संभावना है और

(ग) विधि के साथ संघर्ष में किशोर की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

10. "किशोर बोर्ड अधिनियम, 2015" की धारा 12 के प्रावधानों को केवल पढ़ने से ही स्पष्ट है कि किशोर को रिहा नहीं किया जाएगा। अधिनियम, 2015" से ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका का इरादा किशोर द्वारा किए गए कथित अपराध की प्रकृति या गंभीरता पर ध्यान दिए बिना किशोर को जमानत देना है, और जमानत केवल ऐसे मामलों में अस्वीकार की जा सकती है जहां यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि रिहाई से किशोर किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ सकता है या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल सकता है, या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर सकती है। किशोर को जमानत देने से इनकार करने के लिए अपराध की गंभीरता कोई प्रासंगिक विचार नहीं है। किशोर को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है यदि "किशोर बोर्ड अधिनियम, 2015" की धारा 12(1) के अधीन निर्दिष्ट तीन आकस्मिकताओं में से कोई भी उपलब्ध हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि किशोर को जमानत सभी मामलों में "अनिवार्य" नहीं है क्योंकि उचित कारण बताकर इसे अस्वीकार किया जा सकता है। विधि यह नहीं कहता है कि एक बार किसी व्यक्ति को किशोर पाया जाता है, तो उसे मामले के अन्य तथ्यों और परिस्थितियों के बावजूद जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट है कि यदि किशोर की रिहाई, न्याय के उद्देश्यों को पराजित करती है, तो भी जमानत से इनकार किया जा सकता है। "न्याय के उद्देश्य" वाक्यांश निस्संदेह एक सार्थक वाक्यांश है जो अपराध की प्रकृति और मामले की योग्यता सहित कई कारकों को अपने दायरे में लाता है। आम तौर पर, किशोर के मामले में, अपराध की गंभीरता या आरोप की प्रकृति इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। यद्यपि कुछ अन्य तथ्य और परिस्थितियां हो सकती हैं, जिन्हें न्यायालय द्वारा आसानी से नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

12. जहां तक अपराध की प्रकृति का सवाल है, अधिनियम स्वयं तीन श्रेणियों में आने वाले अपराधों के बीच अंतर करता है, यानी छोटे, गंभीर और जघन्य अपराध। सर्वोच्च न्यायालय ने बार–बार विभिन्न निर्णयों के माध्यम से न्यायालयों को जघन्य अपराधों के मामले से निपटने के दौरान अधिक संवेदनशील होने की चेतावनी दी है। यद्यपि, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 3 में उल्लिखित सामान्य सिद्धांतों को एक मार्गदर्शक कारक के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक ओर, बच्चे के संबंध में सभी निर्णय बच्चे के सर्वोत्तम हित के प्राथमिक विचार पर आधारित होने चाहिए, दूसरी ओर, दूसरे पक्ष की न्याय की मांगों को आसानी से नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। वास्तव में, समाज हमेशा मासूम बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति संवेदनशील रहा है। इसलिए, हत्या से संबंधित मामलों में जमानत के लिए

प्रार्थना पर विचार करते समय, न्यायालय को यह देखना होगा कि रिहाई से किशोर को समाज द्वारा प्रतिशोध के खतरे का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। हत्या के मामलों में ऐसी संभावना हमेशा बनी रहती है। जहां पीड़ित बच्चा है, वहां न्यायालय अधिनियम की धारा 12 के अधीन निहित विवेक का प्रयोग करने से इनकार करने में अपनी सीमा में अच्छा करेगा और इस आधार पर भी जमानत से इनकार किया जा सकता है कि रिहाई से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओम प्रकाश बनाम के मामले में। राजस्थान राज्य और अन्य [(2012) 5 एससीसी 201] ने न्यायालयों को यौन उत्पीड़न, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या आदि जैसे गंभीर प्रकृति के मामलों में किशोरों के साथ व्यवहार करते समय अधिक संवेदनशील होने की चेतावनी दी है। पैरा–23 और 38 में दिए गए निर्णय के प्रासंगिक अंश संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किए जा रहे हैं:–

> "23. इसलिए, जबकि न्यायालयों को यौन उत्पीड़न, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या और अन्य अपराधों जैसे गंभीर प्रकृति के मामलों में शामिल किशोरों के साथ व्यवहार करते समय संवेदनशील होना चाहिए, आरोपी को खुद को नाबालिग साबित करने का प्रयास करके वैधानिक संरक्षण का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है..." निर्णय के पैरा–38 में, माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की कि इसे स्पष्ट रूप से न्याय वितरण प्रणाली को कमजोर करने का प्रयास माना जाएगा। निर्णय का पैरा–38 नीचे पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:–
>
> "38. किशोर न्याय अधिनियम जिसका उद्देश्य निश्चित रूप से बाल अभियुक्तों के साथ सावधानी और संवेदनशीलता से पेश आना है तथा उन्हें सुधरने और समाज की मुख्यधारा में बसने का अवसर प्रदान करना है, उसी को जघन्य अपराधों के मामलों में सुनवाई और उपचार के दौरान न्याय की प्रक्रिया को धोखा देने की चाल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसे स्पष्ट रूप से न्याय वितरण प्रणाली को कमजोर करने का प्रयास माना जाएगा और इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता।" फैसले के पैरा–33 में न्यायालय ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम का वैधानिक संरक्षण उन नाबालिगों के लिए है जो निर्दोष विधि तोड़ने वाले हैं और परिपक्व दिमाग के आरोपी नहीं हैं जो अपने द्वारा किए गए अपराध की सजा से खुद को बचाने के लिए नाबालिग होने की दलील को एक चाल या ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा यह न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने के बराबर होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. वर्तमान मामला आवेदकों/किशोरों द्वारा अपने सहपाठी (लड़की) के किसी विवाद को लेकर विधि का उल्लंघन करते हुए दोहरे हत्याकांड का है जो इस तरह के अपराध करने वाले व्यक्तियों की मानसिकता की भ्रष्टता को दर्शाता है। दो व्यक्तियों की हत्या करना और उसके बाद वाहन को तालाब में फेंककर और शवों को भूसे से ढककर गड्ढे में छिपाकर सबूत नष्ट करने की कोशिश करना, ऐसा कृत्य नहीं माना जा सकता है, जिसे युवावस्था या किशोरावस्था के दौरान की गई बच्चे की गलती कहा जा सकता है। यह अपने सहपाठी (लड़की) की पसंद–नापसंद के छोटे–मोटे मुद्दे पर आवेश से प्रेरित कृत्य है। जहां 16 साल के लड़के का अपहरण कर उसके सिर पर लोहे की रॉड और पाइप से हमला किया गया, यह विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को जमानत देने पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को जमानत देने का विवेकाधिकार स्पष्ट रूप से न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने के समान होगा।

15. 16 साल की उम्र के दो लड़कों की दोहरी हत्या अपराधी की आपराधिक मानसिकता को दर्शाती है। ऐसे किशोरों को जमानत देने से न केवल उन्हें नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे का सामना करना पड़ेगा, बल्कि न्याय के उद्देश्यों की रक्षा भी होगी। किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य न केवल सुधारात्मक है, बल्कि कुछ हद तक प्रतिशोधात्मक भी है। जमानत देने या न देने के मामले में न्याय के उद्देश्य न्यायालय को दोनों पक्षों अर्थात आरोपी और पीड़ित की न्याय की परस्पर विरोधी मांगों के बीच संतुलन बनाने के लिए बाध्य करते हैं। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का उद्देश्य और लक्ष्य न केवल किशोर को सुधारात्मक प्रकृति की सेवाएं प्रदान करके उसका कल्याण और बेहतरी हासिल करना है, ताकि उसे स्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में समाज की मुख्य धारा में वापस लाया जा सके, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज की चिंता को भी संबोधित करना है।

16. आखिरकार पीड़ितों को भी न्याय की आवश्यकता है। किशोर न्याय अधिनियम किशोरों की आवश्यकता और देखभाल के लिए बनाया गया है। इसलिए, बच्चे के सर्वोत्तम हित, पीड़ितों के लिए न्याय की मांग और बड़े पैमाने पर समाज की चिंता के कोण से किशोर की जमानत के मामले पर विचार करते समय एक उल्लेखनीय संतुलन आवश्यक है। हत्या, बलात्कार/गंभीर यौन उत्पीड़न के अपराध समाज के खिलाफ अपराध हैं और समाज हताश और आक्रोशित है, इसलिए न्याय की जरूरत है। इसलिए, पीड़ित और समाज दोनों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 12 न्यायालय को किशोर को जमानत देने का अधिकार देती है, लेकिन अधिनियम में एक परन्तुक भी लगाया गया है जो नकारात्मक है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. वर्तमान मामले में 16 वर्ष की आयु के दो नाबालिग लड़कों की हत्या कर दी गई। विधि से संघर्षरत किशोरों ने स्वयं अपना बयान दिया था और मृतक बच्चों के शव विधि से संघर्षरत किशोरों द्वारा तथ्यों के खुलासे के आधार पर बरामद किए गए थे। इसलिए, मेरा मानना है कि किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य विधि से संघर्षरत बच्चों के साथ–साथ समाज का भी ख्याल रखना है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 12 की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती कि समाज की चिंता को नजरअंदाज करते हुए केवल विधि से संघर्षरत किशोरों को ही लाभ मिले। किशोर के लिए जमानत के प्रावधानों की व्याख्या केवल किशोर के लाभ के लिए नहीं की जा सकती है, न ही मृतक बच्चों के परिवार की चीख–पुकार को नजरअंदाज करके। जब भी कोई बच्चा बलात्कार/गंभीर यौन उत्पीड़न, हत्या जैसे जघन्य अपराध का शिकार होता है, तो समाज न्याय की मांग करता है। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले किशोरों के प्रति गलत सहानुभूति दिखाकर समाज को न्याय से वंचित किया जाता है, जो विधि की मंशा नहीं है और न ही हो सकती है।

18. उपरोक्त के दृष्टिकोण में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर उपरोक्त अपराध करने के लिए जमानत के हकदार नहीं हैं। परिणामस्वरूप, मेरा मानना है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपील को निरस्त करने और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने में कोई गलती नहीं की है। आरोपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। परिणामस्वरूप यह दाण्डिक पुनरीक्षण तदनुसार निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)
अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।